

प्रेमक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत रविदास नगर भदोही।

सेवा में,

प्रबन्धक,

संत रविदास नगर भदोही।

30/06/2014

पत्रांक: मान्यता/2707-14

/2013-14/दिनांक

जुलाई-2013

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक 01.07.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत रविदास नगर भदोही को दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरिता प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक मृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Principal

Sunbeam School, Bhadohi

Rajpura Crossing, Bhadohi

GA/RKD 2014 MVRKD 2014 M (2) CASE Affiliation No. 2152951

MANAGER

Principal
SUNBEAM SCHOOL
Bhadohi

MANAGER
SUNBEAM SCHOOL
RAJPURA CROSSING
BHADOHI - 221401-2

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
BHADOHI

- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 12009.33 वर्ग मीटर
 कुल निर्मित क्षेत्र- 2857.88 वर्ग मीटर
 क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल- है
 कक्षाओं की संख्या- 10
 प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष- है
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- है
 पेयजल सुविधा- है।
 मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई- 01 कक्ष
 बाधारहित पहुच- हाँ

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और शैक्षणिक विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यंष्टि, व्यंष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

Principal
 SUNBEAM SCHOOL
 Bhadohi



Principal
 Sunbeam School Bhadohi
 Rajupura Crossing, Bhadohi
 CBSE Affiliation No. 2131951

MANAGER
 SUNBEAM SCHOOL
 RAJPURA CROSSING
 BHADOHI - 221401

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

SM

(डा० सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत रविदास नगर भदोही।

पृ०सं० मान्यता/2707-14

/2014-15/तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय संत रविदास नगर भदोही।
2. मुख्य विकास अधिकारी संत रविदास नगर भदोही।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
4. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक पंचम मण्डल दाराणसी/विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक/पिछडा वर्ग/जिला विकलांग अधिकारी संत रविदास नगर भदोही।
7. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/नगर शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी) सं०र०न० भदोही।
8. कार्यालय प्रति।

SM

(डा० सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत रविदास नगर भदोही।

Principal
Sunbeam School Bhadohi
Rajupura Crossing, Bhadohi
CBSE Affiliation No. 2131951



MANAGER
SUNBEAM SCHOOL
RAJUPURA CROSSING
BHADOHI - 221401
18/7
Principal
SUNBEAM SCHOOL
Bhadohi



Sunbeam School, BHADOHI

Rajpura Crossing, Aurai Road, Bhadohi-221401

U-DISE Code: - 09710603202
www.sunbeambhadohi.com

School Code : 71191
bhadohi@dhkeduserve.com

CBSE Affiliation - 2131951
Cont : +91- 7309037919

TO WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

This is to inform that **Sunbeam School, Rajpura Crossing, Aurai Road, Bhadohi, Sant Ravidas Nagar , Uttar Pradesh, 221401** has already got RTE Recognition from the State Education Department w.e.f. 01/07/2014 to 30/06/2017 vide Letter No. **मान्यता/2707-14/2013-14** dated 30/08/2014 and as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No -419/79-6-2013-18 (20)/91** dated **8th May 2013** that provisional recognition will be given for three years. During this period in case no fact is established to contradict the rules of recognition, then after the completion of three years period it will be deemed that the school has got permanent recognition.

The **Sunbeam School, Rajpura Crossing, Aurai Road, Bhadohi, Sant Ravidas Nagar , Uttar Pradesh, 221401** has not contradicted any rules of recognition. Hence **Sunbeam School** is now permanently RTE Recognized as per **Uttar Pradesh Government's G.O. No -419/79-6-2013-18 (20)/91** dated 8th May 2013.

Principal
SUNBEAM SCHOOL
Bhadohi
Principal

